

न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट खेरवाडा जिला उदयपुर  
पीठासीन अधिकारी - श्री विनोद कुमार, आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 3/2017

दायर तारीख : 9/2/2017

निर्णय दिनांक : 13/6/2017

न्याय आपके द्वार केम्प : बंजारिया

राजस्थान राज्य जरिये

तहसीलदार खेरवाडा

श्री मणी लाल पिता दिता

जाति मीणा निवासी खोखादरा

बनाम

धारा 88 एवं इन्द्राज दुरस्ती राजस्थान काश्तकारी अधिनियम तथा संपठित धारा 136  
राजस्थान लेण्ड रेवन्यू एक्ट 1956

उपस्थित :

वादी की ओर से : मणीलाल  
प्रतिवादी की ओर से : तहसीलदार खेरवाडा

--: निर्णय ::--

वादी मणीलाल पिता दिता मीणा निवासी खोखादरा तहसील खेरवाडा की ओर से दिनांक 09/02/2017 को यह वाद अन्तर्गत धारा 88 एवं इन्द्राज दुरस्ती राजस्थान काश्तकारी अधिनियम तथा संपठित लेण्ड रेवन्यू एक्ट 1956 प्रस्तुत किया ।

वाद पत्र के अनुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 के खाता संख्या 29/28 में संयुक्त काश्तकार हकरा, हक्सी, धुला, थावरा पिता भाणा 4/5 हि.ब. मनु, प्रकाश, बाबुलाल पिता दिता मु. जवरी बेवा दिता 4/25 हि.ब. सा. देह खातेदार नामान्तरकरण संख्या 32 विरासत के बजाय राजस्व रिकार्ड में संयुक्त काश्तकार हकरा, हक्सी, धुला, थावरा पिता भाणा 4/5 हि.ब. मणीलाल, प्रकाश, बाबुलाल पिता दिता मु. जवरी बेवा दिता 4/25 हि.ब. मीणा सा. देह खातेदार नामान्तरकरण संख्या 32 विरासत निवासी खोखादरा करवाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है ।

आज आयोजित राजस्व लोक अदालत अभियान 2017 में वादी की मौजूदगी में पत्रावली का अवलोकन किया गया । वाद से सम्बधित दस्तावेज तथा वादी का भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड ग्राम पंचायत बंजारिया द्वारा प्रमाणीकरण, संयुक्त खातेदार बाबुलाल, पार्वती पत्नि प्रकाश, जवरी बेवा दिता का बयान एवं तहसीलदार खेरवाडा की रिपोर्ट में मनु के बजाय मणीलाल किये जाने हेतु सहखातेदार के बयान एवं दस्तावेज साक्ष्य सबुत से साबित कराने पर कोई आपत्ति नहीं है ।

उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड वर्णित जमाबन्दी सम्वत् 2071-2074 मनु पिता दिता के बजाय मणीलाल पिता दिता मीणा की रिकार्ड शुद्धि कर अमल दरामद की कार्यवाही हेतु तहसीलदार खेरवाडा को आदेशित किया जाता है । निर्णय आज दिनांक 13/06/2017 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2017 केम्प बंजारिया में सरे इजलास सुनाया गया ।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो नम्बर से कम हो ।

(विनोद कुमार)  
उपखण्ड मजिस्ट्रेट  
खेरवाडा, जिला उदयपुर